



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2018/पौष 29, 1939

No. 35]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2018/PAUSHA 29, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 44(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 की धारा 43) की धारा 139ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर विवरणी तैयारकर्ता स्कीम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-

- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर विवरणी तैयारकर्ता (संशोधन) स्कीम, 2018 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- कर विवरणी तैयारकर्ता स्कीम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3. ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक डिग्री रखता है या जिसने भारत का चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारत का कंपनी सचिव संस्थान या भारत का प्रमाणित प्रबंध लेखा संस्थान द्वारा संचालित डेटामीडिएट स्तर की परीक्षा पास की है, कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होगा।"

- उक्त स्कीम के पैरा 4 में,-

(1) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(i) ऐसे व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगा जो,-

- (क) पैरा 3 में विनिर्दिष्ट अपेक्षित शैक्षिक अर्हता रखते हैं या अर्हता परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हुए हों; और
- (ख) जो आवेदन आमंत्रित किए जाने वाले दिन से ठीक पूर्ववर्ती 1 अक्तूबर को इक्कीस वर्ष से कम या पैंतालीस वर्ष से अधिक न हो।
- (i) यह अपेक्षित होगा कि खंड (i) के अधीन आवेदन के साथ दो सौ पचास रुपए की फीस संलग्न की जाए और जिसके न होने पर आवेदन अविधिमान्य होगा।"

(2) खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

- "(v) यह उन व्यक्तियों को अभ्याविष्ट करेगा जिन्होंने प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र के लिए अभ्याविष्टन हेतु परीक्षण अर्ह कर लिया हो।
- (v) यह ऐसे किसी व्यक्ति को खंड (v) के अधीन अभ्याविष्ट नहीं करेगा, जब तक-
 - (क) वह सात सौ पचास रुपए की रकम जो अप्रतिदेय होगी, जमा न कर दे; और
 - (ख) वह पैरा 3 में विनिर्दिष्ट के अनुसार अर्हक परीक्षा पास करने का सबूत प्रस्तुत न कर दे।"

(3) खंड (ix) का लोप किया जाएगा।

4. उक्त स्कीम के पैरा 9 में, उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:-

- "(1) बोर्ड, किसी साधन केंद्र या भागीदार संगठन को कर विवरणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित रकम संवितरित करने को प्राधिकृत कर सकेगा, अर्थात्:-
 - (क) पहले उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में जो उसके द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई है, घोषित आय पर संदत्त कर का पांच प्रतिशत;
 - (ख) दूसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में जो उसके द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई है, घोषित आय का तीन प्रतिशत;
 - (ग) तीसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में, जो उसके द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई है, घोषित आय का दो प्रतिशत।
- (1अ) किसी पात्र व्यक्ति के संबंध में किसी उपयुक्त निर्धारण वर्ष के लिए संवितरित रकम निम्नलिखित से ज्यादा नहीं होगी-
 - (क) पहले उपयुक्त निर्धारण वर्ष की दशा में पांच हजार रुपए;
 - (ख) दूसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष की दशा में तीन हजार रुपए;
 - (ग) तीसरे उपयुक्त निर्धारण वर्ष की दशा में दो हजार रुपए।"

[अधिसूचना सं. 04/2018/फा.सं.142/16/2010(एसओ)-(टीपीएल(भाग))]

डॉ. टी. एस. मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण : कर विवरणी तैयारकर्ता स्कीम, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 2039(अ), तारीख 20 नवंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना का.आ. 2819(अ), तारीख 22 नवंबर, 2010 द्वारा किए गए।